



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 DEC 2011 X 268713

13. बोरिंग / कुआ / अन्य: लागू नहीं
14. राष्ट्रीय जनपदीय अथवा लोक मार्ग लागू नहीं
15. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है: नहीं
16. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756 / 11-2008--500(165) / 2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार इकरारनामा पर 2 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 20520 / -रूपये।

विवरण विकिसूची भूमि: भूमिधारी भूमि खाता संख्या 338 खतोनी साल 1403 ता 1406 फसली के अनुसार, खसरा नम्बर 1314 (एक हजार तीन सौ चौदह) रकबा 0.013 हैक्टैयर (शून्य दशमलव शून्य एक तीन हैक्टैयर) व खसरा नम्बर 1316/1 (एक हजार तीन सौ सोलह बटा एक) रकबा 0.215 हैक्टैयर (शून्य दशमलव दो एक पाँच हैक्टैयर) कुल दो नम्बर कुल रकबा 0.228 हैक्टैयर (शून्य दशमलव दो दो आठ हैक्टैयर) लगान 9.06 रूपये सालाना स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सखना जिला मेरठ

इस इकरारनामा पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

विक्रेता प्रथम पक्ष दृष्टिविहीन / विकलांग व्यक्ति नहीं है।

विक्रेता-केला अनुसूचित जाति से है।

रघुवीर सिंह

रघुवीर सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 268714

पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।  
विक्रित भूमि पूर्णतः कृषि प्रयोजन की है।  
निम्न भूमि के 200 वर्ग मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि नहीं है।  
विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।  
केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12.1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

हम कि रघुवीर पुत्र श्री भगवाना निवासी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ ..विक्रेता/प्रथम पक्ष

एवं श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवाना निवासी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ .. क्रेता/द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रथम पक्ष उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है जो हर प्रकार के ऋण भार व हस्तान्तरण आदि से मुक्त है जिसकी बाबत प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यह पूर्ण विश्वास दिलाया है कि प्रथम पक्ष ने इस सम्पत्ति की बाबत अब से पूर्व कोई लिखित या मौखिक महायदा या सौदा किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं कर रखा

रघुवीर सिंह

21/11/2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 269199

है और न नियुक्ता अवधि में अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करेगा यदि इस सम्पत्ति की बाबत प्रथम पक्ष की ओर से अन्य कोई लेख पाया जावेगा तो वह फर्जी माना जावेगा और ऐसी दशा में प्रथम पक्ष धारा 420 आई पी सी के अन्तर्गत दण्ड पाने का अधिकारी होगा। अतः उपरोक्त सम्पत्ति के बेचने का सौदा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के साथ बदले अंकन 10,26,000/- दस लाख छब्बीस हजार रुपये में तय करके मिनजुमला बिक्रीधन के अंकन 2,50,000/- दो लाख पचास हजार रुपये बलौर बयाना नकद रजिस्ट्री के समय दूसरे पक्ष से प्राप्त करके महायदा तय किया है जिसके पक्षाकार व उनके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे।

1. यह कि प्रथम पक्ष उक्त वर्णित सम्पत्ति को विक्रय किये जाने सम्बन्धी वैधानिक अडचने दूर करेगा और इसकी लिखित सूचना प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को देने के लिये बाध्य होगा।
2. यह कि अवधि 15 माह (पन्द्रह माह) के अन्दर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अपनी अवशिष्ट रकम बरवक्त रजिस्ट्री प्राप्त करके उनके नाम या जिसके दूसरा पक्ष चाहेगा उसके नाम, उसके खर्च से बैनामा तहरीर तकमील कराकर बैनामा की रजिस्ट्री करा देगा।
3. यह कि यदि हर प्रकार की वैधानिक अडचने दूर करने के बाद प्रथम पक्ष नियुक्ता अवधि के अन्दर द्वितीय पक्ष के कहने या सूचना देने पर बैनामा की रजिस्ट्री न करावेगा तो द्वितीय पक्ष द्वारा अदालत बैनामा की रजिस्ट्री करा लेगा और ऐसी दशा में

रजिस्ट्री

21/5/2018





उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया धारा 32-ए, के अनुपालन में प्रिन्ट्स का क्रमांक 68A 081510

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : रघुवीर

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : राजेन्द्र सिंह

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



रघुवीर  
राजेन्द्र सिंह

रघुवीर

42 212-1) 20  
श्री राज्य शासक  
मुख्य सचिव  
राज्य सरकार  
राज्य सरकार  
राज्य सरकार (दस्तावेज)



आज दिनांक 07/12/2011 को  
वही सं. 1 जिल्द सं. 4040  
पृष्ठ सं. 247 से 258 पर क्रमांक 17763  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार यादव  
उप निबंधक सरधाना

7/12/2011

17765



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 268715



REG. No.-407/38

इफरारनामा

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिष्पन्नक कार्यालय: सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक -
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 45,00,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 10,26,000/- रूपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 10,26,000/- रूपये
6. इफरारनामा पर लिया गया बयाना धन अंकन 2,50,000/- रूपये
7. विक्रित भूमि स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

8. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) कृषि भूमि
9. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर): हेक्टेयर
10. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.228 हेक्टेयर
11. नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र: अर्द्धनगरीय क्षेत्र
12. पंजीयन नम्बर/अंकन: लागू नहीं

रक्षक का हस्ताक्षर

21/11/88

